

2023/879

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर— ~~अमरावती~~)

प्रकरण संख्या/

823/23

दिनांक :-

22/6/23

उनवान

श्री

गोपाल लाल पुत्र नाथू लाल

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

सा. देह खातेदार

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का अमरावती भू अ. नि. अमरावती एवं तहसीलदार जहाजपुर की  
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम अमरावती प. ह. अमरावती की वर्तमान जमाबन्दी  
संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 96 में वर्तमान दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के  
आदेश दिये जाते है।

क.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है
01.	पिता का नाम	गोपाल लाल पुत्र नाथू लाल सा. देह खातेदार	गोपाल लाल पुत्र नाथू लाल माली सा. देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गोपाल लाल पुत्र नाथू लाल माली सा. देह खातेदार
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा